कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

हितकारी निधि कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21 (7) शिक्षा–2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2020–21 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के वेतन विपत्र माह दिसम्बर 2020 देय जनवरी 2021 वेतन से कटौति बाबत् दिशा–निर्देश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा जरियें मेल प्रेषित किये जा चुके है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से कटौति की जानी है।

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान की दरे :–
    1. समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) – राशि 500/– रुपयें प्रतिवर्ष।
    2. समस्त अराजपत्रित कार्मिक (अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी) – राशि 250/– रुपयें प्रतिवर्ष।

2. हितकारी निधि कल्याणकारी योजनाये :–
    1. कल्याणकारी योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 से नियमित अंशदाता को लाभ देय होगा।
    2. सेवा में रहते हुए कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता राशि 1,50,000/– रुपये।
    3. शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता राशि 10,000/– रुपयें।
    4. शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उनके आश्रितों के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता राशि 20,000/– रुपयें।
    5. एक मुश्त छात्रवृति योजनान्तर्गत शिक्षा कार्मिकों के पुत्र/पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृति (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित दसवी में 950 एवं 50 विशिष्ट उपाध्याय संस्कृत के छात्र/छात्राओं को) राशि 11,000/– रुपयें।
    6. बालिका उपहार योजनान्तर्गत (सेवाकाल में एक बार) पुत्री के विवाह पर प्रतिवर्ष 1000 प्रकरणों में राशि 11,000/– रुपयें।
    7. मंत्रालायिक एवं सहायक कर्मचारी को भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम् सहायता राशि 12,000/– रुपयें।
    8. शिक्षा विभागीय कार्मिक की पुत्री की शिक्षा हेतु ऋण राशि 50,000/– रुपयें।